राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का पहला दिवस [संख्या: 01

सोमवार,

23 जनवरी 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.55 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।

शुभ्र ज्योत्स्नाम् पुलकित यामिनीम्।

फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्।

सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्।

सुखदाम् वरदाम् मातरम्।

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

श्री अध्यक्ष: शपथ।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच हो।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच हो।

सदन कूप में

(राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में नारे)

प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा: माननीय श्री अनिल कुमार शर्मा।

शपथ/प्रतिज्ञान

नव-निर्वाचित सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

(माननीय सदस्य ने उनके नाम के सम्मुख अंकित भाषा में शपथ ग्रहण की।)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1.	श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर)	शपथ	हिन्दी

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य शपथ ले रहे हैं, उसकी भी गरिमा नहीं है। माननीय सदस्य, I have to name you. शपथ कर रहे हैं। उसके बाद भी आपको नहीं आ रहा है। माननीय सदस्य, इतनी भी गरिमा नहीं है।

(राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश।

एक मिनट, सेक्रेटरी साहब, रुकें। माननीय सदस्य, मैं अंतिम बार आपको कह रहा हूं। आप सदन पर अपनी कार्यवाही को इंपोज नहीं कर सकते। सदन की कुछ गरिमा है, I will name you. Mr. Pukhraj Garg, I will name you. यह कोई परम्परा नहीं है।

(राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे जारी)

आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, don't impose it. I will name you. I warn you for the last time. I will name you. आप यह पोस्टर बता रहे हैं, यह भी गलत है। मैं पहले फैसला कर चुका हूं।

सदस्य का निष्कासन

नारायण बेनीवाल श्री, पुखराज श्री व इन्दिरा देवी श्रीमती का सदन की कार्यवाही से एक दिन का निष्कासन

माननीय नारायण बेनीवाल, माननीय पुखराज गर्ग और श्रीमती इन्दिरा, I will name you. Go outside. आप बाहर जायें। माननीय सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

आप बाहर जायें। I have to call the Marshal. Mr. Garg, I will call the Marshal. मार्शल, इनको बाहर करें। बाहर निकालें इनको। आज सदन की कार्यवाही तक आपको सदन से निष्कासित किया जाता है। आज सदन की कार्यवाही तक आपको निष्कासित किया जाता है। बिलकुल गलत परम्परा डाल रहे हैं।

(तत्पश्चात् माननीय सदस्य श्री नारायण बेनीवाल, श्री पुखराज एवं श्रीमती इन्दिरा देवी को मार्शल की सहायता से सदन से बाहर निकाला गया।)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह क्या है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। मिस्टर राठौड़। माननीय सदस्य, I will name him. This is none of your business. Please go to your seat. यह कोई तरीका है क्या? आप अपना कानून चलाएंगे? आप अपना कानून चलाएंगे? यह बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं अपन। आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। जब सदन में एक माननीय सदस्य शपथ ले रहा है, उसकी गरिमा भी नहीं है तो हम काहे को चुनाव करवाते हैं फिर बेमतलब? मैं समझता हूं कि हम सबको सदन की कुछ गरिमा रखनी है। अनप्लीजेंट ड्यूटी मुझको करनी पड़ती है। एक सदस्य चुनकर आए हैं, जनता ने चुनाव किया है, वो यहां शपथ ले रहे हैं, उसकी भी गरिमा नहीं है! मैं समझता हूं कि यह अनफॉर्च्युनेट है और यदि कोई चीज नियमों के अंतर्गत है तो मेरी जिम्मेदारी है पालना कराने की। आपको अधिकार नहीं है मार्शल बनने का। This is unfortunate. And I expect it from the senior leaders, please behave like parliamentarians.

संदेश

राज्यपाल महोदय से दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या 10) के सम्बन्ध में प्राप्त संदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परन्तुक के अनुसरण में विधान सभा द्वारा पारित दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या 10) पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है:-

(श्री अध्यक्ष)

"यत: मैंने दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या 10) के प्रावधानों को देखा है, जो कि 09 मार्च, 2018 को राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

"दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 के द्वारा मूल अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्याक 45) की धारा 376 में 376-A के पश्चात् और 376-B से पहले 376-AA एवं 376-D के पश्चात् और 376-E से पहले 376-DD को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार है:-

"376-AA. Punishment for rape on a woman up to twelve years of age.- Whoever commits rape on a woman up to twelve years of age shall be punished with death, or rigorous imprisonment for a term which shall not be less than fourteen years but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine".

"376-DD. Punishment for gang rape on a woman up to twelve years of age.- Where a woman up to twelve years of age, is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with death, or rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine".

"दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या 10) की विषयवस्तु भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की तृतीय सूची-समवर्ती सूची की प्रविष्टियों की परिधि में आती है, जिसके फलस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 254 के खण्ड (2) के अधीन माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु उक्त संशोधन विधेयक को तत्कालीन माननीय राज्यपाल द्वारा रक्षित रखा गया।"

(श्री अध्यक्ष)

"माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु रक्षित उक्त संशोधन विधेयक पर राज्य सरकार द्वारा विधेयक को वापस (Withdraw) लिये जाने के आधार प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है। दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में जो संशोधन किये गये थे, उसी विषय पर समुचित संशोधन भारत सरकार द्वारा दण्ड विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्याक 22) के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860; दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 एवं Protection of Children from sexual offences Act, 2012 में संशोधन किये गये हैं। इस कारण दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 के द्वारा जो संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है।"

"इसलिए, अब मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परन्तुक के अनुसरण में राजस्थान विधान सभा को उक्त विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अध्यधीन पुनर्विचार के लिए संशोधन विधेयक लौटाता हूं।"

प्रमुख सचिव।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति

प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)

माननीय राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा के गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:-

1. राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020;
2. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2022;

(प्रमुख सचिव)

3. राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022;

4. राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2022; व

5. राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022.

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत पश्चिम बंगाल एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी; उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव और सदन के सदस्य श्री भंवरलाल शर्मा तथा पूर्व सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

केशरीनाथ त्रिपाठी, श्री, पूर्व राज्यपाल (पश्चिम बंगाल व बिहार)

पश्चिम बंगाल एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी का जन्म 10 नवम्बर, 1934 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपने बी.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी छह बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप तीन बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। पीठासीन अधिकारी के रूप में आपने विधान सभा में स्वस्थ संसदीय परम्पराएं विकसित कीं। श्री त्रिपाठी उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनेक समितियों के सदस्य रहे। सुदीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री त्रिपाठी वर्ष 2014 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पर आसीन हुए। इस दौरान आपके पास बिहार के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी रहा। श्री त्रिपाठी मेघालय एवं मिजोरम के भी राज्यपाल रहे।

विधिवेत्ता होने के साथ-साथ श्री त्रिपाठी की साहित्य में गहरी रुचि रही। आपके सात कविता संग्रह तथा एक दोहा संग्रह प्रकाशित हुए। इनमें 'मनोनुकृति', 'आयु पंख', 'चितरंजन', 'उन्मुक्त' इत्यादि प्रमुख है। हिन्दी भाषा के उन्नयन के प्रति समर्पित रहे श्री त्रिपाठी ने विदेशों में आयोजित विभिन्न हिन्दी सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपको हिन्दी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए विभिन्न सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी का दिनांक 08 जनवरी, 2023 को निधन हो गया।

मुलायम सिंह यादव, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री (उत्तर प्रदेश)

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवम्बर, 1939 को उत्तर प्रदेश के सैफई में हुआ। आपने बी.ए., बी.टी. एवं एम.ए. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश विधान सभा के आठ बार सदस्य निर्वाचित हुए। श्री यादव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री यादव तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। 'नेताजी' के नाम से प्रख्यात रहे श्री यादव सात बार लोक सभा सदस्य रहे। आप केन्द्रीय सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। लम्बा संसदीय अनुभव रखने वाले श्री यादव ने विधान सभा तथा लोक सभा की अनेक समितियों के सदस्य तथा सभापति के रूप में कार्य किया।

समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे यादव उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री मुलायम सिंह यादव का दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 को निधन हो गया।

भंवरलाल शर्मा, श्री, सदस्य

वर्तमान विधान सभा के सदस्य श्री भंवरलाल शर्मा का जन्म 17 अप्रैल, 1945 को चूरू जिले के जैतसीसर ग्राम में हुआ। आपने सरदारशहर से मैट्रिक, बेसिक हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की।

श्री भंवरलाल शर्मा आठवीं से बारहवीं, चौदहवीं एवं वर्तमान पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा में सरदारशहर निर्वाचन क्षेत्र से सात बार विधायक निर्वाचित हुए। आप आठवीं विधान सभा में लोक दल, नौवीं एवं दसवीं विधान सभा में जनता दल तथा ग्यारहवीं, बारहवीं, चौदहवीं एवं पन्द्रहवीं विधान सभा में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'क' एवं 'ख', जन लेखा समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति तथा गृह समिति के सदस्य रहे। आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति तथा गृह

(श्री अध्यक्ष)

समिति के सभापति रहे। आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति तथा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, सिंचित क्षेत्र विकास, राज्य बीमा एवं भू-जल विभागों से सम्बन्धित संसदीय परामर्शदात्री समिति के सभापति रहे। श्री शर्मा सभापति तालिका के सदस्य भी रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले तथा कुशल प्रशासक रहे श्री शर्मा वर्ष 1990 से 1992 तक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग, सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग, विशिष्ट योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री भी रहे। संसदीय प्रक्रियाओं के जानकार रहे श्री शर्मा सरकारी उप मुख्य सचेतक भी रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री शर्मा वर्ष 1965 से 1982 तक ग्राम पंचायत, जैतसीसर के सरपंच तथा वर्ष 1982 से 1985 तक सरदारशहर पंचायत समिति के प्रधान रहे। आप ग्राम सेवा सहकारी समिति, जैतसीसर के सदस्य भी रहे। सरल एवं सौम्य व्यवहार के धनी श्री शर्मा विधान सभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयासरत रहे। समाज सेवा के लिए समर्पित रहे श्री शर्मा राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे।

श्री भंवरलाल शर्मा का दिनांक 09 अक्टूबर, 2022 को निधन हो गया।

राजेन्द्र कुमार भारतीय, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय का जन्म 05 अगस्त, 1934 को हुआ। आपने बी.एस.सी. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं। श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय पांचवीं राजस्थान विधान सभा में बूंदी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, जन लेखा समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे।

मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित रहे श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ के नेता तथा सोशल वैलफेयर वर्कर, बूंदी के सदस्य रहे। आप राष्ट्रीय मजदूर संघ के विधि सलाहकार भी रहे।

श्री राजेन्द्र सिंह भारतीय का दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 को निधन हो गया।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा

(श्री अध्यक्ष)

दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसन्तप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

जोधपुर के भुंगरा ग्राम में गैस सिलेंडर फटने से हुए हादसे में मृतक

जोधपुर जिले के शेरगढ़ क्षेत्र के भुंगरा गांव में दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 को विवाह समारोह के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट की हृदय विदारक दुर्घटना में 32 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा 30 से अधिक लोग घायल हुए। यह सदन इन दुर्घटनाओं में मारे गये लोगों के प्रति शोक प्रकट करता है।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की।)

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 24 जनवरी 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.12 बजे मंगलवार, दिनांक 24 जनवरी 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट

माननीय राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

1. आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई। नया वर्ष आप सभी के साथ राज्य के समस्त नागरिकों के लिए मंगलमय हो। सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें तथा सर्वांगीण विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ें।

2. पंद्रहवीं राज्य विधान सभा के अष्ठम् सत्र में आप सबके बीच आकर, आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। राजस्थान की ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विशिष्टताएं और विविधताएं हैं। वीरता के साथ त्याग, तपस्या और बलिदान, यहां के कण-कण में है। महाराणा प्रताप से लेकर पन्नाधाय, वीर दुर्गादास राठौड़, भामाशाह, मीरा बाई, नानी बाई और खेजड़ली की अमृता देवी तक सब ने बिना किसी धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय और भाषाई भेदभाव के सम्पूर्ण समाज को साथ लेकर न केवल अपना जीवन जिया, बल्कि सदियों के लिए संसार को एक अच्छा जीवन पथ दिया।

3. इन्हीं परम्पराओं को आगे बढ़ाता मारवाड़ी के नाम से दुनिया में मशहूर राजस्थानी समुदाय है। जो जहां गया, वहीं के समाज और वहीं की संस्कृति में रच-बस कर राज्य का नाम रोशन कर रहा है। अपनी कर्मशीलता से वह सब जगह अपनी अलग पहचान रखता है।

4. हम सब के लिए यह अत्यधिक हर्ष का विषय है कि इस वर्ष राजस्थान दिवस पर राज्य के निर्माण का हीरक जयंती वर्ष भी शुरू हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि 30 मार्च, 1949 को हमारे तत्कालीन नेतृत्व ने राजस्थान को शून्य से शिखर तक ले जाने की जो गौरवशाली यात्रा आरम्भ की थी, उसके अन्य यात्रियों की तरह हम भी उसकी कामयाबी में बेहतरीन योगदान देंगे।

5. यह कहने की बात नहीं है कि जनभावनाओं को अभिव्यक्ति देने वाला राजस्थान का यह पवित्र सदन अपने गठन से लेकर राज्य के विकास को प्रभावी और गतिशील नेतृत्व दे रहा है।

6. राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की जो परिकल्पना हमारी सरकार और प्रदेशवासियों ने संजोई है, उसे साकार होते देखना हम सबके लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। अब हमारा प्रदेश मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है।
7. यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारी सरकार ने इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से कदम उठाए हैं और संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन के मूलमंत्र को धरातल पर उतारा है।
8. इस पवित्र सदन में बैठकर माननीय सदस्यगण द्वारा प्रदेश के हित में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किए गए गहन चिंतन और मंथन से प्रदेश की प्रगति, समृद्धि, खुशहाली और चहुंमुखी विकास सुनिश्चित हुआ है।
9. बेहद खुशी की बात है कि भौगोलिक विषमताओं, आर्थिक चुनौतियों, सीमित संसाधनों और कोविड की गम्भीर परिस्थितियों सहित तमाम प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए हमारी सरकार ने कटिबद्धता से विकास परियोजनाओं को मूर्तरूप दिया है।
10. सदन को यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि राजस्थान ने वर्ष 2021-22 में 11.04 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल कर कीर्तिमान स्थापित किया है।
11. डबल डिजिट की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ देश में दूसरा स्थान हासिल करना हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन एवं राजस्थान के समग्र तथा समावेशी विकास को दर्शाता है।
12. हमारी सरकार ने 'सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म' की भावना से हर वर्ग तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचा कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का सफल प्रयास किया है।
13. जनसेवा को समर्पित विगत चार वर्षों में हमारी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि एवं कृषक कल्याण, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, युवा कल्याण, बुनियादी विकास, ऊर्जा एवं उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर देश में मिसाल कायम की है।
14. विकास का यह क्रम निरंतर जारी है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में राजस्थान विकास के सभी पैमानों पर अव्वल होगा।

15. राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वह निरंतर इस दिशा में प्रयास कर रही है कि महंगाई के इस जमाने में आम आदमी को बीमारियों के इलाज पर होने वाले भारी खर्च की चिंता से मुक्त कर दे। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने गरीबों को मुफ्त दवा एवं जांच की सुविधा दी।

16. हमारी सरकार ने इस बार एक क्रांतिकारी पहल करते हुए 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' लागू की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के हर नागरिक को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर दिया गया है। इस बीमा पालिसी के तहत करीब एक हजार 750 अस्पताल पंजीकृत हैं।

17. यह हम सब के लिए खुशी की बात है कि राज्य के लगभग 88 प्रतिशत लोग अब स्वास्थ्य बीमा धारक हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा महज 41 प्रतिशत ही है। चिरंजीवी योजना से अब तक राज्य में 31 लाख 58 हजार लोगों का उपचार किया जा चुका है तथा कैशलैस उपचार पर लगभग 3 हजार 625 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। लम्बे समय से चिकित्सा और शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने की मांग होती रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह बढ़ नहीं सका। पूर्ववर्ती सरकार में इस मद पर होने वाला खर्च 10 हजार करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने लगभग 20 हजार करोड़ रुपये कर दिया है।

18. मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना को भी इससे जोड़ा गया है, जिसके तहत किसी भी राज्य के व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सम्बद्ध चिकित्सालयों में 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार देय है।

19. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना प्रारम्भ कर दवाइयों एवं जांच की सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में अब आईपीडी एवं ओपीडी में सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क उपलब्ध है।

20. वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 2022 तक करीब 949 करोड़ रुपये व्यय कर 7 करोड़ 50 लाख मरीजों को लाभान्वित किया गया।

योजनान्तर्गत वर्तमान में आवश्यक दवा सूची में एक हजार 326 दवाइयां, 928 सर्जिकल्स एवं 185 सूचर्स को शामिल किया गया है।

21. निरोगी राजस्थान अभियान के अन्तर्गत राज्य में प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक-एक स्वास्थ्य मित्र (महिला एवं पुरुष) की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कुल 82 हजार 955 स्वास्थ्य मित्र का चयन कर प्रशिक्षित किया जा चुका है। सभी पंचायतों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे हैं।

22. वर्ष 2022 में जारी सेम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट संदर्भ वर्ष 2018-20 के अनुसार राजस्थान में मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में 28 अंकों की गिरावट आई है, जो देश में सर्वाधिक है।

माननीय सदस्यगण !

23. राजस्थान देश का प्रथम राज्य है, जहां प्रत्येक जिले में मेडिकल एवं नर्सिंग कालेज चरणबद्ध रूप से खोले जा रहे हैं। मेडिकल कालेज श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर एवं सिरोही में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रारम्भ हो गये हैं, जिससे इस वर्ष कुल 400 एम.बी.बी.एस. सीटों की बढ़ोतरी हुई है।

24. विभिन्न मेडिकल कालेजों में पिछले चार वर्षों में एम.बी.बी.एस. सीटों में कुल एक हजार 380 सीटों की बढ़ोतरी हुई, जो 2018 तक की कुल एक हजार 950 एम.बी.बी.एस. सीटों का 71 प्रतिशत है। हमारी सरकार के कार्यकाल में राजकीय मेडिकल कालेजों में पी.जी. सीटों में 558 एवं सुपर स्पेशियलिटी में 37 सीटों की अभिवृद्धि हुई।

25. प्रदेश में अब तक 19 मेडिकल कालेज विभिन्न जिलों में संचालित हैं, जिनमें से श्रीगंगानगर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ एवं धौलपुर में सत्र 2022-23 में 400 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। 12 जिलों में मेडिकल कालेज की स्थापना प्रक्रियाधीन है। इन सभी कालेजों की 40 प्रतिशत हिस्सा राशि राज्य सरकार वहन कर रही है।

26. प्रदेश में नये खुलने वाले 15 मेडिकल कालेजों हेतु एक हजार 224 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 3 हजार 674 बैड क्षमता के 15 नवीन चिकित्सालयों का निर्माण कार्य भी हाथ में लिया गया है।

27. जोधपुर में इंस्टीट्यूट आफ न्यूरो साइंस का निर्माण प्रगति पर है। जयपुर में इंस्टीट्यूट आफ न्यूरो साइंस एण्ड आफल्मोलॉजी, कोटा में

इंस्टीट्यूट आफ पीडियाट्रिक, नियोनेटोलॉजी एण्ड मेटरनिटी एवं अजमेर में इंस्टीट्यूट आफ पीडियाट्रिक्स एण्ड नियोनेटोलॉजी का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रक्रियाधीन है।

28. जोधपुर के एस.एन. मेडिकल कालेज के तत्वावधान में उम्मेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेटरनिटी एवं नियोनेटोलॉजी, डेंटल कालेज एवं रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

29. सभी जिलों में नर्सिंग कालेज खोलने के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 7 जिलों-बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली एवं सीकर में नर्सिंग महाविद्यालय प्रारम्भ कर दिये गये हैं। शेष 17 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 में प्रवेश कार्य प्रक्रियाधीन है।

30. राजकीय मेडिकल कालेजों से संबद्ध अस्पतालों में मार्च, 2020 में बच्चों के आई.सी.यू. बैड की कुल क्षमता 665 थी, जो अब बढ़कर 2 हजार 110 हो गयी है।

31. प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति आमजन का विश्वास निरंतर बढ़ा है। इन पद्धतियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में हमारी सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं।

32. परम्परागत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से जनसामान्य को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान में आयुर्वेद की 3 हजार 836, होम्योपैथी की 275 एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति की 217 चिकित्सा इकाइयां संचालित हैं।

33. राज्य में पहली बार राजकीय क्षेत्र में एक साथ 8 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के एकीकृत महाविद्यालय जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, सीकर, जोधपुर एवं उदयपुर में प्रारम्भ किये गये। साथ ही 2 होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय केकड़ी (अजमेर) एवं जोधपुर में प्रारम्भ किए गए हैं।

34. आयुर्वेद चिकित्सा से वंचित 77 ब्लाक में नवीन एकीकृत ब्लाक आयुष चिकित्सालय स्थापित किये गये। चूरू के तारानगर में आयुर्वेद महाविद्यालय खोले जाने के लिए 50 शय्याओं का एकीकृत चिकित्सालय प्रारम्भ किया गया।

35. आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक हजार आयुष औषधालयों को आयुष हैल्थ एंड वैलनेस सेन्टर्स के रूप में चरणबद्ध रूप से विकसित किया जा रहा है।

36. राज्य में 5 स्थानों पर नवीन राजकीय आयुर्वेद औषधालय एवं सदरी लोहावट (जोधपुर) में होम्योपैथिक औषधालय खोला गया है तथा 10 नवीन आंचल प्रसूता, 10 पंचकर्म एवं 12 जरावस्था केन्द्र खोले गये हैं।

37. किसान अपनी गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित कर सकें, इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ऋण वितरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है।

38. वर्ष 2022-23 में किसानों को दिसम्बर माह तक 16 हजार 402 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया गया है। साथ ही, लगभग 213 करोड़ रुपये का मध्यकालीन ऋण एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से लगभग 108 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण वितरित किया गया है।

39. वर्ष 2022-23 में दिसम्बर माह तक राजफैड द्वारा करीब 37 हजार मीट्रिक टन डी.ए.पी., 49 हजार मीट्रिक टन यूरिया, 14 हजार मीट्रिक टन एस.एस.पी. खाद एवं 110 मीट्रिक टन बीज का वितरण किया गया तथा 5 हजार 842 मीट्रिक टन पशु आहार का उत्पादन किया गया है।

40. राज्य में सहकारिता आन्दोलन को गति प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसम्बर माह तक 418 नये पैक्स एवं 49 नए लैम्पस के गठन की अनुमति प्रदान की गई है।

41. वर्ष 2022-23 में 12 करोड़ रुपये की लागत से एक सौ ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया। साथ ही, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 501 कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्वीकृत किए गए।

42. सहकारी क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार की 'एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना' के तहत राजस्थान को राइजिंग स्टेट के रूप में पुरस्कृत किया गया है।

43. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से रबी सीजन-2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक लाख 30 हजार से अधिक किसानों से चना खरीदकर एक हजार 564 करोड़ रुपये एवं 44 हजार 404 किसानों से मूंग खरीदकर लगभग 415 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

44. राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 11 वर्ष के अन्तराल के बाद चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ कर दिसम्बर, 2022 तक 6 हजार 389 समितियों में चुनाव सम्पन्न कराये गये हैं।

माननीय सदस्यगण !

45. आजादी के समय राजस्थान में मात्र 13 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था, लेकिन आज हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुके हैं। दिसम्बर, 2018 से अब तक 3 हजार 406 मेगावाट की वृद्धि के साथ कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 23 हजार 489 मेगावाट हो गई है।

46. यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 3 लाख 27 हजार से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन एवं 2 लाख 13 हजार से अधिक बी.पी.एल. श्रेणी के विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। कृषि कनेक्शनों के लिए अलग से फीडर स्थापित किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में एक हजार 534 फीडर का कार्य पूर्ण हो चुका है।

47. प्रदेश के 16 जिलों में किसानों को दिन के दो ब्लाक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है, 14 जिलों में अप्रैल, 2023 से दिन में कृषि हेतु विद्युत आपूर्ति किया जाना लक्षित है।

48. दिसम्बर, 2018 से नवम्बर, 2022 तक किसानों को बिजली बिलों में 60 हजार 755 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में 15 लाख 63 हजार एवं शहरी क्षेत्र में 4 लाख 96 हजार घरेलू कनेक्शन जारी किए गए हैं।

49. मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अन्तर्गत मई, 2021 से दिसम्बर, 2022 तक लगभग 12 लाख 88 हजार किसानों को करीब एक हजार 727 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है।

इससे लगभग 8 लाख 93 हजार किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है।

50. मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान योजना अन्तर्गत अब तक 3 हजार 972 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है। लगभग 39 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिल इस छूट से शून्य हो गया है।

51. दिसम्बर, 2018 से अब तक 11 हजार 727 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र एवं 132 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र एवं एक हजार 690 मेगावाट क्षमता के हाईब्रिड संयंत्र स्थापित किये गये हैं।

52. हमारी सरकार ने 400 के.वी. का एक ग्रिड सब-स्टेशन, 220 के.वी. के 5 ग्रिड सब-स्टेशन, 132 के.वी. के 24 ग्रिड सब-स्टेशन एवं 33 के.वी. के 586 ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किए हैं। साथ ही, 765 के.वी. का ग्रिड सब-स्टेशन जोधपुर में स्थापित किये जाने हेतु 3 हजार 89 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है।

53. शहरी क्षेत्रों में 7 लाख 22 हजार उपभोक्ता परिसरों पर स्मार्ट मीटर स्थापित करने की योजना के तहत 5 लाख 21 हजार स्मार्ट मीटर स्थापित किये जा चुके हैं।

54. हमारी सरकार ने 'समृद्ध किसान-खुशहाल राजस्थान' की सोच के साथ वर्ष 2022-23 में प्रदेश का पहला कृषि बजट प्रस्तुत किया, जिसके तहत कृषि एवं इससे सम्बद्ध क्षेत्रों की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 11 मिशन लागू किये गये हैं।

55. खरीफ 2021 से फसल बीमा पॉलिसी वितरण करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। प्रदेश के कृषि विभाग के 'मेरी पालिसी, मेरे हाथ' अभियान की सराहना करते हुए भारत सरकार ने रबी 2021-22 से इसे पूरे देश में लागू किया है।

56. खरीफ-2022 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत 65 लाख 62 हजार हैक्टेयर क्षेत्र का बीमा कर 2 करोड़ से अधिक फसल बीमा पालिसी सृजित की गई हैं। रबी 2022-23 में दिसम्बर, 2022 तक एक करोड़ से अधिक पालिसी सृजित की गईं।

57. दिसम्बर माह तक 20 लाख 75 हजार क्विंटल बीज का वितरण किया गया। वर्ष 2022-23 में 29 लाख बीज मिनी किट का निःशुल्क

वितरण किया गया, जो गत वर्ष के मुकाबले लगभग चार गुना अधिक है।

58. सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत जल संरक्षण एवं सिंचाई जल के समुचित उपयोग की दृष्टि से गत चार वर्षों में 19 हजार से अधिक फार्म पोण्ड तथा 9 हजार 845 डिग्गियों का निर्माण किया गया। साथ ही, करीब 28 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन तथा 3 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ड्रिप एवं फव्वारा संयंत्रों की स्थापना की गई। राज्य में फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 20 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है।

59. विगत चार वर्षों में अनुदान पर 57 हजार 657 सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र उपलब्ध कराये गये हैं।

60. राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना में 974 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर लगभग 323 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है, जिससे राज्य में एक हजार 964 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है। इससे रोजगार के करीब एक लाख अवसर सृजित होंगे।

61. राज्य में कृषि जिन्सों एवं उनके प्रसंस्कृत उत्पादों के व्यवसाय एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 22 मिनी फूड पार्क, मेगा एवं एग्रो पार्क की स्थापना के लिए भूमि आबंटित कर दी गई है। इनमें से 9 मिनी फूड पार्क की डी.पी.आर. तैयार कर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं।

माननीय सदस्यगण !

62. पशुपालकों को आर्थिक संबल प्रदान करने तथा डेयरी विकास के लिए किए गए प्रयासों से राज्य में 3 यथा राजसमन्द, बारां तथा जैसलमेर में नये जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों का गठन किया गया। दुग्ध संकलन 23 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 52 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। इससे राजस्थान पूरे देश में तीसरे पायदान पर आ गया है।

63. वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना शुरू की गई। पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। हमारी सरकार ने

पुनः वर्ष 2019 में इस योजना को शुरू कर दुग्ध उत्पादन पर 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान देना शुरू किया। इस वित्तीय वर्ष से यह अनुदान बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इससे करीब 4 लाख 63 हजार दुग्ध उत्पादक लाभान्वित हुए हैं।

64. वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार 5 हजार नये डेयरी बूथ खोले जा रहे हैं जिनमें से एक हजार डेयरी बूथ महिला एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को आबंटित किये जाएंगे। दिसम्बर माह तक 978 डेयरी बूथों का आबंटन किया गया है इनमें से 553 डेयरी बूथ महिला एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को आबंटित किये गये हैं।

65. पशुपालक सम्मान योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 422 प्रगतिशील पशुपालकों को 53 लाख 20 हजार रुपये की राशि प्रदान कर सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है।

66. बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाओं के लिए 2 हजार 947 पशु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी गठित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ग्राम पंचायतों में 275 नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोले गये हैं।

67. उष्ट्र संरक्षण योजना के तहत उष्ट्रपालकों को टोडियों के जन्म पर दो किस्तों में कुल दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वर्ष 2022-23 में 5 हजार ऊंटपालकों को 2 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि से लाभान्वित करने हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है।

68. देशी गोवंशीय नस्ल सुधार हेतु पाली जिले के जोजावर में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक केन्द्र का शुभारम्भ किया गया। इससे देशी नस्ल का संरक्षण एवं संवर्द्धन होगा, जिसके परिणामस्वरूप गोवंश की संख्या के साथ दुग्ध उत्पादन में अभिवृद्धि होगी और पशुपालकों का आर्थिक उत्थान होगा।

69. प्रदेश में गोवंश के संरक्षण की दिशा में गत चार वर्ष में अभूतपूर्व काम हुआ है। हमारी सरकार ने गौशालाओं को भरण-पोषण के लिए सहायता राशि 6 माह से बढ़ाकर 9 माह की है। इस पेटे दी जाने वाली राशि में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। अब यह राशि बड़े और छोटे पशु के लिए क्रमशः 40 एवं 20 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु कर दी गई है।

70. निराश्रित गोवंश को आश्रय प्रदान करने के लिए 17 जिलों में नन्दीशाला स्वीकृत कर प्रत्येक को 45 लाख रुपये की सहायता राशि आबंटित कर अब तक 7 करोड़ 65 लाख रुपये व्यय किया गया है। राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर भी एक करोड़ 57 लाख रुपये की लागत से नंदीशाला का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए लगभग 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नंदीशाला स्थापना के लिए अभी तक 40 संस्थाओं के साथ अनुबंध किया गया है।

71. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से एक करोड़ रुपये की लागत से गौ-आश्रय स्थल बनाये जायेंगे। प्रथम चरण में एक हजार 500 ग्राम पंचायतों में आश्रय स्थल की स्थापना की जायेगी। इसके लिए एक हजार 377 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

72. गौशालाओं में संधारित गोवंश के लिए अब तक 2 हजार 313 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

73. यह अवगत कराते हुए खुशी है कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक मॉडल स्टेट का उदाहरण पेश कर रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स की संख्या 31 मार्च, 2022 को 90 लाख 28 हजार थी, जो दिसम्बर, 2022 तक बढ़कर लगभग 94 लाख हो गई है। इन पेंशनर्स को वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवम्बर माह तक 6 हजार 170 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है।

74. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत करीब 5 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

75. पालनहार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 557 करोड़ रुपये व्यय कर 6 लाख 74 हजार बच्चों को लाभान्वित किया गया है। योजनान्तर्गत 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर एक हजार 500 एवं 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि एक हजार रुपये से बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये प्रतिमाह की गई है।

76. देवनारायण योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु संचालित कार्यक्रमों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसम्बर माह तक करीब 237 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

77. शैक्षणिक सत्र 2022-23 से तीन नवीन आवासीय विद्यालयों का संचालन आरम्भ किया जा चुका है।

78. हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग तथा विषेष योग्यजन श्रेणी के 8 हजार 494 मेधावी अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवा रही है।

79. नई सिलिकोसिस नीति के तहत दिसम्बर माह तक 11 हजार 500 से अधिक सिलिकोसिस पीड़ित अथवा उनके परिवारों को करीब 350 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

80. राज्य के ऐसे विशेष योग्यजन जो वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके परिवारों को बी.पी.एल. के समकक्ष मानने के लिए आदेश जारी किए गये हैं।

81. दिव्यांग छात्र-छात्राओं तथा कार्यस्थल पर जाने वाले युवाओं के लिए वर्ष 2022-23 से स्कूटियों की संख्या 2 हजार से बढ़ाते हुए 5 हजार की गई है।

82. जोधपुर में बधिर एवं दृष्टि बाधित श्रेणी के 2 महाविद्यालयों की स्थापना की गई है।

83. जामडोली (जयपुर) में बौद्धिक दिव्यांग बालकों के लिए 125 आवासी क्षमता का पुनर्वास गृह बनाया जा रहा है।

84. सभी वर्गों के समान विकास की भावना के साथ हमारी सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण की दिशा में भी प्रभावी उपाय सुनिश्चित किये हैं।

85. प्रदेश में 16 राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय बालक-बालिका विद्यालय संचालित हैं तथा 47 अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है।

86. मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत 126 मदरसों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु 21 करोड़ 33 लाख रुपये तथा

500 स्मार्ट क्लास रूम स्थापित करने के लिए करीब 13 करोड़ 10 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

माननीय सदस्यगण !

87. राजस्थान में सभी महिलाओं एवं किशोरियों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता एवं निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण हेतु 'आईएम शक्ति उड़ान' योजना शुरू की गई है। योजना के प्रथम चरण में लगभग 29 लाख किशोरियों एवं महिलाओं को लाभान्वित किया गया। द्वितीय चरण में एक करोड़ 51 लाख किशोरियों एवं महिलाओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। ऐसा करने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है।

88. ऐसी महिलाएं जो वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती हैं, उनके लिए 'मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क योजना' प्रारंभ की गई है। आगामी वर्ष में 20 हजार महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करना प्रस्तावित है। अब तक करीब 17 हजार महिलाओं का पंजीकरण किया जा चुका है।

89. महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण की ओर प्रोत्साहित करने के लिए इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके तहत अब तक करीब 65 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया है।

90. वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुरूप इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की गई है। योजना में दिसम्बर, 2022 तक 10 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

91. आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में 01 अप्रैल, 2022 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

92. समस्त जिला मुख्यालयों पर महिलाओं की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिये इन्दिरा महिला शक्ति केन्द्र स्थापित किये गये हैं। अब तक करीब एक लाख 30 हजार महिलाओं को इससे लाभान्वित किया जा चुका है।

93. जनजातियों का अपना गौरवशाली इतिहास और विशिष्ट संस्कृति है। हमारी सरकार द्वारा विगत वर्षों में जनजातीय समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन के लिए कारगर कदम उठाए हैं।

94. हमारी सरकार ने अनुसूचित जनजाति विकास कोष की राशि 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 500 करोड़ रुपये करने की महत्वपूर्ण घोषणा की है।

95. प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर इंडोर खेल स्टेडियम का निर्माण किया गया है।

96. अन्तरराष्ट्रीय स्तर के हाकी प्रशिक्षण हेतु उदयपुर में अकादमी प्रारम्भ कर 70 जनजाति छात्र-छात्राओं को एस्ट्रो टर्फ मैदान पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

97. जनजातीय महत्व के धार्मिक स्थलों के विकास के तहत बेणेश्वर-डूंगरपुर, सवाईमाता-बांसवाड़ा एवं मंचीद-राजसमन्द में 3 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं।

98. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। राजस्थान ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व आयाम स्थापित किये हैं।

99. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक करीब 350 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर 6 हजार 839 कार्य पूर्ण किये गये हैं।

100. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में वर्ष 2022-23 में 2 लाख 80 हजार आवास पूर्ण किये जा चुके हैं।

101. राजीविका द्वारा राज्य के समस्त विकास खण्डों में लगभग 2 लाख 97 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इससे 37 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार लाभान्वित हुए हैं। दो लाख से अधिक समूहों को करीब एक हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक, रिवोल्विंग फण्ड एवं सामुदायिक निवेश निधि के रूप में उपलब्ध करवाये गये हैं।

102. जयपुर में महिला को-आपरेटिव बैंक-राजस्थान महिला निधि की स्थापना की गई है। कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में आजीविका संवर्धन हेतु 2 हजार 17 उत्पादक समूहों एवं 2 प्रोड्यूसर कम्पनी का गठन किया गया है।

103. महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान अव्वल रहा है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक

22 करोड़ 12 लाख 53 हजार मानव दिवसों का सृजन कर 2 लाख 92 हजार कार्य पूर्ण करवाये गए। राज्य सरकार प्रदेश में मनरेगा के तहत 25 दिवस का रोजगार अतिरिक्त उपलब्ध करवा रही है।

माननीय सदस्यगण !

104. यह गौरव का विषय है कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है, जहां नागौर की पावन धरा पर ही महान नेता और प्रथम प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज का सूत्रपात किया था।

105. इस वर्ष भरतपुर जिले में सीकरी एवं अलवर जिले में भनोखर को पंचायत समिति बनाया गया।

106. स्वामित्व योजनान्तर्गत राज्य के 17 जिलों के 9 हजार 285 ग्रामों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण किया गया है तथा 348 ग्रामों में 11 हजार 715 प्रोपर्टी कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

107. प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत लम्बित तथा शेष रहे कार्यों को पूर्ण करने के लिए 15 मई, 2022 से 30 जून, 2022 तक फॉलोअप शिविर आयोजित कर 74 हजार 160 पट्टे जारी किये जाने के साथ ही आम जनता से जुड़े कार्यों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है।

108. राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण में लगभग एक हजार 580 करोड़ रुपये के एक लाख 32 हजार कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। द्वितीय चरण में लगभग 2 हजार 600 करोड़ रुपये के 2 लाख कार्य प्रारम्भ किये जा रहे हैं।

109. हमारी सरकार का पुरजोर प्रयास है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों का सुनियोजित विकास हो। इस उद्देश्य से अनेक ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है, जिससे शहरवासियों का जीवन सुविधाजनक एवं बेहतर हुआ है।

110. जोधपुर के बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में अन्तरराष्ट्रीय एवं आई.पी.एल. मैचों के आयोजन के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्टेडियम का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण कर 18 सितम्बर, 2022 को लोकार्पण किया गया।

111. जयपुर शहर में भारत जोड़ो सेतु (हवा सड़क एलीवेटेड रोड) का लोकार्पण 06 अक्टूबर, 2022 को किया गया। जयपुर शहर में यातायात के दबाव एवं जाम के समाधान के लिए लक्ष्मी मंदिर तिराहे एवं बी टू बाईपास चौराहे को ट्रैफिक लाइट फ्री करने हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। सिविल लाइन्स फाटक पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। झोटवाड़ा एलीवेटेड रोड का कार्य भी पूर्णता की ओर है।

112. इण्डिया इन्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका कार्य पूर्णता की ओर है। जयपुर में एस.एम.एस. अस्पताल परिसर में लगभग 550 करोड़ रुपये की लागत से आई.पी.डी. टावर एवं स्पेशल कार्डियक यूनिट तथा 90 करोड़ रुपये की लागत से 'कॉन्स्टीट्यूशन क्लब' का निर्माण कराया जा रहा है।

113. राजस्थान आवासन मण्डल के माध्यम से विधान सभा के नजदीक ही करीब 266 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधा-युक्त विधायक आवासों का निर्माण प्रगति पर है।

114. जयपुर के मानसरोवर में लगभग 52 एकड़ भूमि पर 'सिटी पार्क' विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के प्रथम चरण का लोकार्पण 21 अक्टूबर, 2022 को किया जा चुका है।

115. कोटा शहर को यातायात जाम से मुक्ति दिलाने एवं ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनाने की दिशा में 460 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न चौराहों पर 3 अण्डरपास एवं 5 फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है।

116. चम्बल नदी के दोनों तट पर कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक 5.50 किलोमीटर की लम्बाई में लगभग एक हजार 200 करोड़ रुपये की लागत से हैरिटेज रिवर फ्रंट विकसित किया जा रहा है। इससे चम्बल नदी के दोनों तरफ बसी हुई बस्तियों को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी और कोटा शहर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

117. कोटा शहर को कैटल फ्री सिटी बनाने एवं पशुपालकों के पुनर्वास के लिए 105 हैक्टेयर भूमि पर 300 करोड़ रुपये की लागत से

देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना विकसित की गई है।

118. कोटा शहर की रियासतकालीन धरोहरों को संरक्षित करने हेतु राजकीय महाविद्यालय भवन, लाडपुरा, सूरजपोल, पाटनपोल, किशोरपुरा दरवाजों एवं सुभाष लाइब्रेरी का पुनरुद्धार किया गया है। करीब 80 करोड़ रुपये की लागत से विवेकानन्द चौराहा, अदालत चौराहा, घोड़े वाले बाबा चौराहा, महाराणा प्रताप चौराहा, नाका चुंगी चौराहा एवं एरोड्रम चौराहा पर सौन्दर्यीकरण का कार्य किया गया है।

119. चम्बल नदी को संरक्षित करने तथा कोटा शहर में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से 280 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज का कार्य किया जा रहा है।

120. समस्त नगरीय निकायों के माध्यम से प्रशासन शहरों के संग अभियान में अब तक लगभग 6 लाख पट्टे वितरित किये जा चुके हैं। साथ ही, अभियान के अन्तर्गत अन्य सेवाओं के लगभग 18 लाख 66 हजार से अधिक प्रकरण निस्तारित किये गये हैं।

121. यूपीए (प्रथम) सरकार के समय विश्व के सबसे बड़े एवं महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। कोरोना काल में जब देश में लोग आजीविका के संकट से जूझ रहे थे तब यह योजना वरदान सिद्ध हुई।

122. मनरेगा की तर्ज पर ही शहरों में भी रोजगार सुनिश्चितता के लिए राज्य सरकार ने 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना' लागू की। यह अभूतपूर्व पहल करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है।

123. इस योजना में जरूरतमंद शहरी परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिवस के रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अब तक कुल 4 लाख 19 हजार परिवार पंजीकृत किये जा चुके हैं। प्राथमिक चरण में 10 हजार 505 कार्यों के लिए लगभग 573 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

124. कोविड की गम्भीर चुनौती को राज्य सरकार ने आपदा में अवसर के रूप में लिया। 'कोई भूखा न सोए' इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में हमारी सरकार का संकल्प रहा। इस संकल्प को साकार करने की

दिशा में राज्य सरकार ने इन्दिरा रसोई योजना की शुरुआत की। योजना में जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपये में सम्मानपूर्वक बैठाकर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन भरपेट उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक 980 रसोइयों के माध्यम से 9 करोड़ 45 लाख भोजन थाली वितरित की जा चुकी हैं। राज्य सरकार प्रति थाली 17 रुपये का अनुदान दे रही है।

125. इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेण्डर्स एवं बेरोजगारों को रोजगार के लिए 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 76 हजार 699 लाभार्थियों को बैंकों द्वारा ऋण वितरण किया जा चुका है।

माननीय सदस्यगण !

126. राजस्थान लोकरंग, रंग-बिरंगी संस्कृति, किलों, महलों, स्मारकों और पुरासम्पदा के लिए विश्व-विख्यात है। यहां के कण-कण में पर्यटन पसरा हुआ है, जिसे देखने पर्यटक खिंचे चले आते हैं। कैलेण्डर वर्ष 2022 में राज्य में 10 करोड़ 87 लाख देशी-विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है, जो कोविड पूर्व वर्ष 2019 में आये पर्यटकों की तुलना में 102 प्रतिशत अधिक है।

127. हमारी सरकार पर्यटन को लगातार बढ़ावा दे रही है। हाल ही में पर्यटन एवं हास्पिटेलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया है। अब इस सेक्टर के लिए औद्योगिक दरों पर राजकीय शुल्क एवं कर देय है।

128. विगत दिनों सम्पन्न इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान पर्यटन क्षेत्र में 13 हजार 588 करोड़ रुपये के 372 एमओयू हस्ताक्षरित हुए, जिनसे 59 हजार 873 लोगों के लिए रोजगार सृजन संभावित है।

129. राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टीनेशन के रूप में प्रमोट करने तथा राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, 2022 लागू की गई है।

130. अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, 2022 लागू की गई है।

131. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास कोष में से वागड़ पर्यटक सर्किट, ऐतिहासिक 23 बावड़ियों के पुनरुद्धार एवं

प्रत्येक जिले के 2-2 पर्यटक स्थलों सहित अन्य धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास के लिए करीब 323 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गये हैं।

132. पर्यटन के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यों का परिणाम रहा कि वर्ष 2022 में विभाग को कई अवार्ड प्राप्त हुए। इनमें आउटलुक ट्रेवलर द्वारा कुम्भलगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ किलों को हैरिटेज डेस्टीनेशन इन इण्डिया अवार्ड, कोन्डेनास्ट रीडर्स ट्रेवल अवार्ड में 'फेवरेट लेजर डेस्टीनेशन इन इण्डिया' अवार्ड, 'फेवरेट इण्डियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स' अवार्ड, ट्रेवल प्लस लेजर द्वारा डोमेस्टिक डेस्टीनेशन श्रेणी में राजस्थान को 'बेस्ट स्टेट अवार्ड' तथा इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेवल मार्ट, बैंगलुरु में मिला 'कल्चरल डेस्टीनेशन आफ द ईयर' अवार्ड मुख्य हैं।

133. राजकीय संग्रहालयों यथा अलवर, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़ एवं भरतपुर को डिजिटल संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है।

134. पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हवामहल को 'स्वच्छ पर्यटन स्थान अवार्ड-2022' प्रदान किया गया, जो प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।

135. राजस्थान धरोहर प्राधिकरण, जयपुर द्वारा निर्मित 6 पैनोरमा चालकनेची (तनोटमाता) पैनोरमा चालकना, बाड़मेर, भगत शिरोमणी करमेती बाई पैनोरमा खण्डेला, सीकर, श्रीसेन महाराज पैनोरमा पुष्कर, अजमेर, राव शेखाजी पैनोरमा, अमरसर, जयपुर, शहीद रूपाजी-कृपाजी पैनोरमा, गोविन्दपुरा, चित्तौड़गढ़, गिरि सुमेल महासंग्राम पैनोरमा, रायपुर, पाली का निर्माण करवाया गया है। इन पैनोरमा के निर्माण पर लगभग 9 करोड़ 80 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

136. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों, विचारों एवं दर्शन को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 'शान्ति एवं अहिंसा विभाग' की स्थापना करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है।

137. प्रदेश में पहली बार गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत की गई, जिसके अन्तर्गत 02 अक्टूबर, 2022 को पांच प्रसिद्ध गांधीवादी विचारकों को गांधी सद्भावना पुरस्कार-2022 प्रदान किया गया।

138. हमारी सरकार द्वारा किये गये औद्योगिक सुधारों का परिणाम है कि प्रदेश में निवेश के लिए उद्यमियों को अनुकूल वातावरण एवं प्रोत्साहन मिल रहा है।

139. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 को अधिक व्यापक बनाते हुए 07 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 जारी की गई।

140. इन्वेस्ट राजस्थान समिट-2022 का 07 एवं 08 अक्टूबर, 2022 को जे.ई.सी.सी., सीतापुरा (जयपुर) में आयोजन किया गया, जिसमें देश-विदेश के लगभग 4 हजार प्रतिभागियों ने भाग लिया।

141. समिट के तहत करीब 10 लाख 45 हजार करोड़ रुपये के 4 हजार 192 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये हैं। इससे 6 से 9 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलना प्रस्तावित है। अब तक के फोलोअप के आधार पर कुल 2 हजार 35 एम.ओ.यू., एल.ओ.आई. क्रियान्विति के चरण में हैं जो कुल एम.ओ.यू., एल.ओ.आई. का लगभग 49 प्रतिशत है।

142. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रीको ने अब तक 17 औद्योगिक क्षेत्रों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। एमनेस्टी स्कीम के जरिए रीको द्वारा लगभग 32 हजार 238 प्रकरणों में उद्यमियों को 116 करोड़ 60 लाख रुपये की छूट दी गई है।

143. 'मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना' में वित्तीय संस्थानों के माध्यमों से 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 5 से 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में दिसम्बर तक 6 हजार 500 से अधिक आवेदकों को बैंकों के माध्यम से लगभग एक हजार 200 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया है, जिसमें 103 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान दिया गया है।

144. 'डा. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022' 08 सितम्बर, 2022 को लागू की गई। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 से 9 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान एवं परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपये (जो भी कम हो) का मार्जिन मनी अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

145. 'मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना' 11 अक्टूबर, 2022 को लागू की गई है। योजना में 15 लाख रुपये तक के

वाणिज्यिक वाहन क्रय करने पर वाहन की आन रोड कीमत का अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा 60 हजार रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान राज्य सरकार द्वारा तथा समकक्ष अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा दिया जा रहा है।

146. वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने का राज्य सरकार का संकल्प भी स्तुत्य है। इन चार वर्षों में सरकार ने राज्य के कुल 24 हजार 648 बुजुर्गों को तीर्थयात्रा कराई है, जिसमें पशुपतिनाथ और कैलाश मानसरोवर की हवाई यात्रा भी शामिल है।

माननीय सदस्यगण !

147. हमारी सरकार ने अपनी नीतियों और नवाचारों से सुदृढ़ कानून-व्यवस्था कायम की है। कानून-व्यवस्था के कई पैमानों पर राजस्थान अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है।

148. हर फरियादी की सुनवाई और न्याय सुनिश्चित करने की सोच के साथ वर्तमान सरकार ने अनिवार्य एफ.आई.आर. रजिस्ट्रेशन की नीति लागू की है, जिससे कमजोर एवं वंचित वर्गों द्वारा भी प्रकरण दर्ज करवाया जाना सम्भव हो सका है। इसका परिणाम रहा कि इस्तगासे के माध्यम से दर्ज होने वाले प्रकरणों की संख्या में काफी कमी आई है।

149. नागरिकों को एस.एम.एस. के जरिये लिंक प्रदान कर एफ.आई.आर. की प्रति डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

150. थानों में पदस्थापित आरक्षियों को अधिकतम 2 वर्ष के कारावास के दण्डनीय अपराध के अनुसंधान हेतु अधिकृत किया है। अब तक 4 हजार 576 आरक्षियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है।

151. लम्बे समय से कानूनी गिरफ्त से बच रहे 94 घोषित अपराधियों, एक हजार 380 भगौड़ों एवं 10 हजार 469 स्थाई वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है।

152. आमजन को पुलिस थानों में पब्लिक फ्रेंडली वातावरण उपलब्ध कराने हेतु पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाये गये हैं। पारदर्शिता हेतु पुलिस थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगाये गये हैं।

153. महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के

अधीन प्रत्येक जिले में स्पेशल इन्वेस्टीगेशन यूनिट फोर क्राइम अगेंस्ट वुमन का गठन किया गया है। इससे महिलाओं संबंधी प्रकरणों के अनुसंधान में लगने वाला औसत समय 129 दिवस से घटकर 72 दिन रह गया है।

154. कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत स्थानीय महिलाओं को सुरक्षा सखी योजना अन्तर्गत चयनित कर सहयोग लिया जा रहा है। अब तक 17 हजार 700 से अधिक सुरक्षा सखी चयनित की गई हैं।

155. साइबर अपराध पर प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में साइबर थाना खोला गया है।

156. हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टोलरेंस नीति के तहत परिवादी को सहयोग के लिए रिवॉल्विंग फण्ड की स्थापना भी की है।

157. भारत वर्ष में राजस्थान एक मात्र राज्य है, जिसकी शत-प्रतिशत जेल ऑनलाइन है। राज्य में सभी कारागृहों पर ई-मुलाकात की सुविधा संचालित है। बंदियों की कारागृह में रहते हुए वीडियो कान्फ्रेंस से न्यायालय में पेशी हेतु अब तक 95 कारागृहों को वीडियो कान्फ्रेंस से जोड़ा गया है।

158. वर्ष 2022 में आई.सी.जे.एस. अवार्ड प्रिजन्स पिलर में सम्पूर्ण भारत में राजस्थान कारागार विभाग द्वितीय स्थान पर रहा है।

159. गृह रक्षा विभाग के स्वयंसेवकों के आश्रितों को गृह रक्षा विभाग में अनुकम्पात्मक नामांकन का प्रावधान किया गया है।

160. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा महिला अत्याचार से सम्बन्धित प्रकरणों का परीक्षण प्राथमिकता से किया जा रहा है। बारह वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के प्रकरणों का परीक्षण भी सर्वोच्च प्राथमिकता से कर रिपोर्ट 5 दिन में उपलब्ध करवाई जा रही है।

161. प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होना पूरे देश में चिंता का विषय बन गया है। यहां तक कि सेना भर्ती परीक्षाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। हमारी सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किये हैं। हमारी सरकार इसके लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक-2022 लेकर आई है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे तत्वों से

राज्य सरकार सख्ती से निपटेगी। पेपर लीक में संलिप्त ऐसे आरोपियों व अपराधियों को गिरफ्तार करना, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से ब्लैकलिस्ट करना, इस कार्य में सहयोग करने वाले सरकारी कार्मिकों को बर्खास्त करना तथा ऐसे आरोपियों व अपराधियों की सम्पत्ति ध्वस्त करना आदि कदम उठाये गये हैं। इस मुद्दे पर सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम कर रही है।

162. पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए हमारी सरकार ने वृहद् पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से सतही जल स्रोत से अब तक 19 शहरों को आंशिक तथा 4 हजार 638 ग्राम एवं 4 हजार 56 ढाणियों को लाभान्वित किया है। विगत चार वर्षों में 23 वृहद् पेयजल परियोजनाओं के कार्यों को पूरा किया गया है।

163. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों एवं ढाणियों में एक हजार 207 आर.ओ. प्लाण्ट एवं एक हजार 991 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरिडेशन यूनिट स्थापित कर शुद्ध जल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

164. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 39 हजार 521 गांवों में 10 हजार 655 सिंगल एवं मल्टी विलेज योजनाओं तथा 133 वृहद् परियोजनाओं सहित 69 हजार 940 करोड़ रुपये की 10 हजार 788 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। अब तक 31 लाख 26 हजार से अधिक परिवारों को 'हर घर जल कनेक्शन' के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

माननीय सदस्यगण !

165. वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर दिसम्बर, 2022 तक करीब एक हजार 429 करोड़ रुपये व्यय कर 710 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

166. प्रदेश में 8 वृहद् परियोजनाओं, 5 मध्यम परियोजनाओं तथा 41 लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।

167. हमारी सरकार द्वारा 361 नवीन परियोजनाओं के निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6 हजार 359 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

168. वर्ष 2022-23 में दिसम्बर तक परवन परियोजना पर 229 करोड़ 64 लाख रुपये, धौलपुर लिफ्ट परियोजना पर 51 करोड़ 51 लाख रुपये,

ईसरदा पेयजल परियोजना पर 62 करोड़ रुपये, नवनेरा बैराज पर 84 करोड़ रुपये तथा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार पर 316 करोड़ 38 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

169. पारदर्शी जल प्रबंधन के उद्देश्य से बांधों और नहर प्रणाली के लिए नर्मदा नहर परियोजना सांचौर जिला जालौर, गंगनहर तथा भाखड़ा नहर जिला श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ तथा पार्वती बांध जिला धौलपुर, छापी बांध जिला झालावाड़, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध जिला चित्तौड़गढ़, सोम-कमला-अम्बा बांध जिला डूंगरपुर पर स्काडा सिस्टम स्थापित करने का कार्य प्रगतिरत है।

170. ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके माध्यम से प्रदेश के पूर्वी भाग के 13 जिलों की पेयजल जरूरतों को पूरा किया जाना सम्भव होगा। हमारी सरकार इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए मानसून के दौरान चम्बल नदी के सहायक नदी बेसिनों में उपलब्ध अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिल, गंभीर इत्यादि नदी बेसिनों में जल अपवर्तन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। परियोजना द्वारा राजस्थान के 13 जिलों में वर्ष 2051 तक पेयजल उपलब्धता तथा 2 लाख हैक्टेयर नये क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

171. राज्य सरकार द्वारा नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक का कार्य आरम्भ करने की घोषणा की गई है तथा परियोजना को शीघ्र धरातल पर उतारने हेतु पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन कर दिया गया है। साथ ही इसके लिए विभिन्न स्तर के पदों की स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है।

172. परियोजना के विस्तृत भूगर्भीय सर्वेक्षण एवं तकमीना तैयार करने तथा पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिये कन्सल्टेन्सी सेवाओं हेतु कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

173. वर्तमान में रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज एवं नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक में जल अपवर्तन हेतु हाइड्रोलोजिकल सिमुलेशन का कार्य किया जा चुका है। लिंक का अलाइनमेन्ट फाइनल हो चुका है। फील्ड सत्यापन, तकनीकी सर्वेक्षण एवं तकमीना की कार्यवाही प्रगतिरत है।

174. इंदिरा गांधी मुख्य नहर के चार एस्केप रिजरवायरों को पक्का कर वृहद् जलाशय बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए एक हजार 88 करोड़ रुपये की निविदाएं स्वीकृत की गई हैं।

175. चूरू जिले में चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर से 9 हजार 691 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए लगभग 54 किलोमीटर लम्बाई में नहर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

176. द्वितीय चरण की लिफ्ट योजनाओं में प्रेशर सिंचाई पद्धति स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 22 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

177. हमारी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल में 24 हजार 405 करोड़ रुपये का व्यय कर 8 हजार 987 किलोमीटर लम्बाई में नवीन सड़कों का निर्माण, एक हजार 68 किलोमीटर लम्बाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, 6 हजार 448 किलोमीटर लम्बाई में राज्य राजमार्गों का विकास तथा 37 हजार 286 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण सड़कों के विकास का कार्य पूर्ण किया गया है।

178. वर्ष 2022-23 में कुल 9 हजार 982 करोड़ रुपये की लागत से 4 हजार 695 सड़क, पुलों एवं एक आर.ओ.बी. कार्यों की स्वीकृतियां जारी कर अधिकतर कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। इनमें प्रति विधान सभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से मिसिंग लिंक एवं नॉन पैचेबल सड़कें बनाने के लिये 7 हजार 210 किलोमीटर लम्बाई की 3 हजार 422 सड़कों के कार्य सम्मिलित हैं।

179. प्रदेश के 4 हजार किलोमीटर के राजमार्ग जो टू लेन नहीं हैं, उनमें प्रथम चरण में एक हजार 2 किलोमीटर लम्बाई के 53 राजमार्गों को टू लेन किये जाने के लिये एक हजार 200 करोड़ रुपये के स्वीकृत कार्यों में से 51 कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। शेष 2 कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

180. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज तृतीय में 5 हजार 821 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों के कार्य स्वीकृत किये गये हैं, इनमें से 5 हजार 519 किलोमीटर लम्बाई के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

माननीय सदस्यगण !

181. पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का मानना था कि, "शिक्षा मानव को बंधनों से मुक्त करती है और आज के युग में तो यह लोकतंत्र की भावना का आधार भी है। जन्म तथा अन्य कारणों से उत्पन्न जाति एवं वर्गगत विषमताओं को दूर करते हुए यह मनुष्य को इन सबसे ऊपर उठाती है।"

182. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए केन्द्र की यूपीए सरकार ने देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू किया, जिससे हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिला। हमारी सरकार ने भी प्रदेश में शिक्षा की व्यापक पहुंच और गुणवत्ता सुधार की दिशा में अहम फैसले लिए हैं और नवाचार किये हैं।

183. राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत कक्षा 3 से 8 तक के 65 हजार विद्यालयों के लगभग 50 लाख विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस द्वारा आकलन किया गया है जो विश्व कीर्तिमान है। यह वर्ल्ड बुक आफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया।

184. राजस्थान के सभी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं द्वारा 12 अगस्त, 2022 को एक साथ पांच देशभक्ति गीतों का गायन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 1 से 12 के लगभग एक करोड़ 12 लाख विद्यार्थियों ने भाग लेकर विश्व रिकार्ड स्थापित किया, जिसे वर्ल्ड बुक आफ रिकार्डस में दर्ज किया गया।

185. नीति आयोग के सहयोग से भारत सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय परफारमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) में राजस्थान उत्कर्ष श्रेणी में रहा एवं सम्पूर्ण भारत वर्ष के 733 जिलों में राज्य के सीकर जिले ने देश में प्रथम, झुन्झुनूं ने द्वितीय एवं जयपुर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है।

186. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे भी प्रतिस्पर्धा में किसी से पीछे नहीं रहें, इसे देखते हुए वर्ष 2022-23 में 480 ग्रामीण, 195 शहरी एवं 13 प्राथमिक राजकीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में रूपांतरित किया गया है। वर्तमान में राज्य में एक हजार 701 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। राज्य में अभिनव प्रयोग करते हुए एक हजार 18 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक बाल वाटिकाओं का संचालन भी किया जा रहा है।

187. सत्र 2022-23 में एक हजार 54 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एवं 3 हजार 834 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। इसी प्रकार 548 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है तथा 143 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। स्कूलों की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में चौथा स्थान है।

188. भारत सरकार की इन्सपायर अवार्ड मानक योजना में सत्र 2022-23 में ऑनलाइन नोमिनेशन की दृष्टि से एक लाख 65 हजार 825 नोमिनेशन के साथ राजस्थान सम्पूर्ण देश में लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है। फिट इंडिया कार्यक्रम में भी राजस्थान प्रथम रहा है।

189. राज्य में 67 वर्ष बाद 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी, 2023 तक रोहट, पाली में किया गया। जम्बूरी में सम्पूर्ण देश तथा सार्क राष्ट्रों से लगभग 37 हजार स्काउट्स एवं गाइड्स ने भाग लिया। इसके लिए हमारी सरकार ने 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किये।

190. बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने के साथ-साथ उनका पोषण स्तर भी बेहतर हो, इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 69 लाख विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिवस दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस पर लगभग 476 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

191. वर्ष 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 69 लाख विद्यार्थियों को यूनिफार्म के दो सैट एवं सिलाई के लिए 200 रुपये प्रति विद्यार्थी दिए जा रहे हैं। अब तक 63 लाख 20 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

192. हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक स्कूल शिक्षा के विभिन्न पदों पर 81 हजार 637 नियुक्तियां दी गई हैं और लगभग 90 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।

193. राज्य सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय को आचार्य स्तर पर एवं 50 प्रवेशिका विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। साथ ही 5 नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोले गये हैं।

माननीय सदस्यगण !

194. उच्च शिक्षा की पहुंच सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में कुल 117 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले हैं, जिनमें 61 कन्या महाविद्यालय एवं 29 कृषि महाविद्यालय हैं। हमारी सरकार द्वारा गत 4 वर्षों में कुल 240 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गये, जिनमें से 94 कन्या महाविद्यालय हैं। वर्तमान में 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से 200 राजकीय महाविद्यालयों के नवीन भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

195. राजीव गांधी स्कोलरशिप फोर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना-2021 लागू की गयी, जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रदेश के 200 होनहार विद्यार्थियों को शीर्ष 150 विदेशी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। महिला विद्यार्थियों के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं एवं 8 लाख से कम पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक कुल 245 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिनमें 118 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं।

196. विगत चार वर्षों में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 13 हजार से अधिक स्कूटियों का वितरण किया जा चुका है एवं 3 हजार 368 स्कूटियों का वितरण कार्य प्रगतिरत है। काली बाई भील मेधावी तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना में

वितरित की जाने वाली स्कूटियों की संख्या 13 हजार से बढ़ाकर 20 हजार प्रति वर्ष कर दी गयी है।

197. ऐसी किशोरियां एवं महिलाएं जो पारिवारिक एवं अन्य कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा पाती हैं, उन्हें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 36 हजार 300 छात्राओं को ओपन एण्ड डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज आदि हेतु देय शुल्क का पुनर्भरण किये जाने का प्रावधान है।

198. निजी शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2023 एवं कोचिंग केन्द्रों पर प्रभावी नियंत्रण, मॉनिटरिंग एवं इनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को मानसिक सम्बल प्रदान करने हेतु राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नियंत्रण एवं विनियामक विधेयक, 2023 पर संबंधित स्टेक होल्डर्स एवं जनसाधारण से सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। दोनों विधेयकों को विधान सभा के बजट सत्र में पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

199. विगत 9 वर्षों से प्रदेश में 'सेट' परीक्षा नहीं हो रही थी। राज्य सरकार ने यूजीसी नेट की भांति प्रदेश में 'सेट' परीक्षा के आयोजन का निर्णय लेकर गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा को आयोजन हेतु नोडल एजेन्सी नियुक्त किया है।

200. राजकीय खेतान पोलीटेक्निक महाविद्यालय परिसर में 100 करोड़ रुपये की लागत से नवीन राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

201. राजकीय तकनीकी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से 15 करोड़ रुपये की लागत से 'राजस्थान हायर टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट' स्कीम लागू की जा रही है।

202. शोध को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में 3 करोड़ रुपये की लागत से एक रिसर्च हब तैयार किया गया है।

203. प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिल सकें, इस दिशा में कौशल विकास कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने कौशल विश्वविद्यालय के भवन निर्माण हेतु नॉलेज सिटी, ग्राम चौंप में भूमि आबंटित की है।

204. बाड़मेर के पचपदरा कस्बे में ऊर्जा कौशल विकास परिसर स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय को पचपदरा कस्बे में 30 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित की गई है।

205. हमारी सरकार द्वारा नवाचार कर जयपुर, बीकानेर एवं उदयपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 10 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया।

206. प्रदेशवासियों को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़े, इस दृष्टि से राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 2022 में 1 अतिरिक्त जिला कलक्टर, 1 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, 10 उपखण्ड, 23 तहसील एवं 42 उप-तहसीलों का सृजन किया गया है।

207. वर्ष 2022 में दिसम्बर तक 325 नवीन राजस्व ग्रामों का सृजन किया गया।

208. पटवारी के 5 हजार 610 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं।

209. डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकॉर्ड्स माडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत राज्य की 380 तहसीलों के भू-अभिलेखों को ऑनलाइन किया जा चुका है। राज्य की 253 तहसीलों में आधुनिक भू-अभिलेखागार बनाये गये हैं।

210. हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक एक लाख 41 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है एवं लगभग एक लाख 81 हजार से अधिक पदों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अब तक कुल एक हजार 186 प्रकरणों में शिथिलन प्रदान करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया गया है।

211. राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने के संबंध में भी प्रावधान किया गया है।

212. हमारे श्रमिक प्रदेश के नवनिर्माण में महती भूमिका निभा रहे हैं। उनके हितों के संरक्षण के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। हमारी सरकार ने अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में 7 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि कर क्रमशः 259 रुपये, 271 रुपये, 283 रुपये एवं 333 रुपये प्रतिदिन की दरें पुनरीक्षित करने की अधिसूचना 28 जून, 2022 को जारी की है।

माननीय सदस्यगण !

213. जनघोषणा पत्र में किये वादे को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने मार्च, 2019 से स्टेट फ्लैगशिप योजनान्तर्गत एक रुपये प्रति किलो की दर से बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय के लगभग एक करोड़ 38 लाख लाभार्थियों को गेहूं वितरण के लिए अब तक 386 करोड़ रुपये की राशि वहन की है।

214. हमारी सरकार द्वारा 3 लाख से अधिक परिवारों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है।

215. राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के आबंटन में 30 प्रतिशत दुकानें महिलाओं को आबंटित करने का निर्णय किया है।

216. कोरोना अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बाधित न हो, इस दृष्टि से राशन डीलर की कोरोना से मृत्यु पर 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि आश्रितों को देने का प्रावधान किया गया है। अब तक 45 मृतक राशन डीलरों के आश्रितों को 22 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है।

217. लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचाने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने राजस्थान जन आधार योजना-2019 लागू की है। इस योजना में अब तक एक करोड़ 95 लाख परिवारों एवं 7 करोड़ 58 लाख व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है, जो प्रदेश की जनसंख्या का 95 प्रतिशत है।

218. जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से राज्य की 70 योजनाओं एवं 33 सेवाओं के नकद तथा गैर नकद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा लाभार्थियों के खातों में दिये जा रहे हैं। अब तक 53 हजार करोड़ से अधिक की राशि लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।

219. सरलता, सुगमता तथा नवाचार के उद्देश्य से जन आधार डाटाबेस से ही पात्रता सुनिश्चित कर लाभार्थियों को बिना आवेदन के ही लाभ हस्तांतरण किया जा रहा है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। साथ ही अब राशन वितरण भी जन आधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है।

220. राज्य में लगभग 85 हजार ई-मित्र केन्द्रों पर ऑनलाइन जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के लिए आवेदन करने तथा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है। वेब पोर्टल 'पहचान' पर 1 दिसम्बर, 2018 से 20 दिसम्बर, 2022 तक जन्म के लगभग 78 लाख, मृत्यु के 21 लाख एवं विवाह के 13 लाख ऑनलाइन पंजीकरण किये जा चुके हैं।

221. भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के जनक पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का मानना था कि, 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास की कुंजी है।" उनकी दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज हमारा देश पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। राजस्थान ने भी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है।

222. प्रदेश के युवाओं को सूचना एवं तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम टेक्नोलोजी का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजीव गांधी सेंटर आफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना 20 अगस्त, 2022 को की गई। यहां सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर के मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज का प्रशिक्षण देने के लिए नामी आई.टी. कम्पनियों से अनुबन्ध किया गया है।

223. प्रदेश में डिजिटल संस्कृति को नये आयाम देने के लिए राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान का शिलान्यास 13 नवम्बर, 2022 को किया गया। इससे वित्त एवं आई.टी. तकनीक के मिश्रित कौशल वाला मानव संसाधन उपलब्ध होगा।

224. राज्य स्तरीय स्टार्टअप नव नीति 13 नवम्बर, 2022 को जारी की गयी। प्रदेश में 3 हजार से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं।

225. जन सूचना पोर्टल पर 115 विभागों में चल रही 331 योजनाओं की 690 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पोर्टल से लगभग 12 करोड़ से अधिक विजिटर्स ने सूचनाएं प्राप्त की हैं।

226. राज-काज को गति देने के लिए राज्य के सभी राजकीय विभागों में प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। प्रथम चरण में सचिवालय में पत्रावलियों को ई-फाइलिंग सिस्टम पर लाया गया है।

227. युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जोधपुर में जॉब फेयर आयोजित किया गया, जिसमें 274 कम्पनियों ने 3 हजार 524 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया तथा 9 हजार 200 से अधिक युवाओं को आगामी चरण के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया।

228. हमारी सरकार पर्यावरण अनुकूल नीति निर्धारित कर खनन गतिविधियों एवं अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है। खनन क्षेत्र में इस वर्ष दिसम्बर माह तक 4 हजार 867 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया।

229. खनन प्रभावित क्षेत्रों में वहां के लोगों के विकास के लिए खानधारकों द्वारा जमा किये जाने वाले अंशदान के तहत नवम्बर, 2022 तक 7 हजार 279 करोड़ रुपये संग्रहित किये जा चुके हैं। विभिन्न विकास कार्यों के लिए इसमें से 3 हजार 164 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

230. राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार के तहत प्रदेश ने खनिज कैटेगरी-तृतीय (अप्रधान खनिज) के प्लाट आबंटन में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में उल्लेखनीय कार्य के लिए द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

231. राज्य में खनिज अन्वेषण के लिए राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है।

232. प्रदेश के विकास की दृष्टि से राजस्थान रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स एक महत्वपूर्ण परियोजना है। राजस्थान रिफाइनरी का 56 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजना पर अब तक 23 हजार 57 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय किया गया है।

233. प्रदेशवासियों को सुरक्षित एवं सुगम परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार योजनाबद्ध रूप से कार्य कर रही है। राज्य में

भारवाहक वाहनों के परमिट प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं आवेदक के स्तर से ही ई-साइन युक्त परमिट डाउनलोड करने की सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है।

234. लाइसेंस नवीनीकरण, पता परिवर्तन, डुप्लीकेट लाइसेंस, वाहन श्रेणी का विलोपन एवं अन्तरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जैसी सेवाओं को फेसलैस किया गया है।

235. दिव्यांगजन के उपयोग में लिये जाने वाले दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों के क्रय पर मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट दी गई है। पैर से अशक्त दिव्यांगजन को आटोमैटिक ट्रांसमिशन वाले 10 लाख रुपये तक के चार पहिया वाहनों के क्रय पर मोटर वाहन कर में शत-प्रतिशत छूट दी गयी है।

236. इलेक्ट्रिकल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में नवीन 'इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति' सितम्बर, 2022 से लागू की गई है।

237. प्रदूषण नियंत्रण हेतु सी.एन.जी. चलित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मोटर वाहन कर में दी जाने वाली 50 प्रतिशत की छूट अब सी.एन.जी. किट रेट्रोफिटमेंट कराये जाने वाले वाहनों पर भी दिये जाने की अधिसूचना 23 फरवरी, 2022 को जारी कर दी गई है।

238. ई-व्हीकल्स के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे वाहनों के क्रेताओं को एस.जी.एस.टी. का पुनर्भरण करने तथा दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों पर बैटरी क्षमतानुसार क्रमश: 5 से 10 हजार तथा 10 से 20 हजार रुपये तक एकमुश्त अनुदान देने की अवधि को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाया गया है।

239. बेगूं-चित्तौड़गढ़ में नवीन उप परिवहन कार्यालय एवं सलूम्बर, उदयपुर में नया जिला परिवहन कार्यालय खोला गया है।

240. परिवहन निगम द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले 80 लाख 59 हजार परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ दिया गया है।

माननीय सदस्यगण !

241. गांव-गांव में खेल सुविधाओं के विकास तथा खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों के लिए लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन

करवाया। इन खेलों को वर्ल्ड बुक आफ रिकॉडर्स में भी दर्ज किया गया है।

242. अब शहरी ओलम्पिक खेलों का आयोजन भी किया जाना प्रस्तावित है।

243. ओलम्पिक, एशियन एवं राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं तथा अर्जुन एवं द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों तथा कोच के लिए, स्पोर्ट्स पेंशन योजना लागू कर खिलाड़ियों को 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रतिमाह 20 हजार रुपये की पेंशन उपलब्ध करवाई जायेगी।

244. जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। इस पर लगभग 50 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।

245. यूथ हॉस्टल, जयपुर को 5 करोड़ रुपये की लागत से 'राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर' के रूप में विकसित किया जा रहा है।

246. प्रदेश के अल्प आय वर्ग के युवाओं को दिल्ली में कोचिंग एवं करियर काउन्सलिंग की सुविधा के लिए दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपये के व्यय से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एण्ड फेसिलिएशन सेंटर की स्थापना की जाएगी।

247. राज्य में हरियाली बढ़ाने एवं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2022-23 में दिसम्बर माह तक 56 हजार हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया गया है।

248. राज्य में ई-वेस्ट के प्रभावी प्रबंधन हेतु एक री-साइकिलिंग पार्क की स्थापना की जा रही है। इसके लिए थोलाई, जयपुर में 44 हैक्टेयर भूमि का आबंटन किया गया है।

249. राजस्थान विषम भौगोलिक स्थितियों वाला प्रदेश है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण यहां किसान, पशुपालक एवं आमजन की चिंताएं स्वाभाविक हैं, लेकिन हमारी सरकार ने इन वर्गों के प्रति सदैव मानवीय दृष्टिकोण रखा है। ओलावृष्टि, बाढ़ एवं सूखे के कारण फसल खराबी से प्रभावित किसानों के लिए कृषि आदान-अनुदान हेतु वर्ष 2022-23 में 815 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आबंटित किया जा चुका है।

250. लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ मीडिया देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों और समस्याओं का हल खोजने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाता है। हमारी सरकार सदैव ही मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की पक्षधर रही है।

251. वर्षों तक अपनी कलम से समाज को सही राह दिखाने वाले हमारे वरिष्ठ पत्रकार सम्मान के साथ जीवन-यापन कर सकें, इसी सोच के साथ हमारी सरकार राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत राज्य के वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों को 15 हजार रुपये प्रतिमाह एवं दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नियों को 7 हजार 500 रुपये प्रतिमाह सम्मान पेंशन का भुगतान कर रही है।

252. राजस्थान पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु योजना की अधिसूचना 15 सितम्बर, 2022 को जारी कर छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है।

253. राज्य सरकार ने राजकीय कार्मिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया और 1 जनवरी, 2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त राजकीय कार्मिकों के लिए नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की, ताकि कार्मिक अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन भविष्य की चिंता से दूर रहकर समर्पण भाव के साथ कर सकें। अन्य राज्यों ने भी इस फैसले का अनुसरण किया है।

254. राज्य में सी.जी.एच.एस. की तर्ज पर कैशलैस चिकित्सा सुविधा हेतु राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आर.जी.एच.एस.) लागू की गई है, ताकि सरकारी कार्मिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हों।

255. राज्य में नवीन स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिए 15 लाख तक के उपापन स्टार्ट-अप से बिना निविदा जारी करने का निर्णय लिया गया है।

256. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों के लिए मई, 2022 से 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना' लागू की गई है।

257. पैतृक सम्पत्ति के हक त्याग के मामले में स्टाम्प ड्यूटी को 5 हजार से घटाकर 500 रुपये किया है।

258. शिक्षा के लिए विद्यार्थियों द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई।

259. कोविड की चुनौती, सीमित संसाधन एवं अन्य चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन कर राज्य के विकास को गति दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा 48 हजार 238 करोड़ रुपये रहा, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.03 प्रतिशत है, जबकि भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 15 लाख 86 हजार 537 करोड़ रुपये रहा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 6.71 प्रतिशत है।

260. राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 के लिए 11 लाख 96 हजार 137 करोड़ रुपये अनुमानित था तथा वर्ष 2022-23 के लिए 13 लाख 34 हजार 410 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 11.56 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, जबकि भारत सरकार का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 के लिए 2 करोड़ 32 लाख 14 हजार 703 करोड़ रुपये अनुमानित था तथा वर्ष 2022-23 के लिए 2 करोड़ 58 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में 11 प्रतिशत की वृद्धि ही अनुमानित है।

261. वर्ष 2021-22 राजस्व अनुमान में ऋण एवं अन्य दायित्व राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 39.53 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि भारत सरकार का ऋण एवं अन्य दायित्व सकल घरेलू उत्पाद का 58.53 प्रतिशत रहना अनुमानित है। इस प्रकार राज्य के वित्तीय प्रबंधन की स्थिति भारत सरकार से कई आंकड़ों में बेहतर रही है।

262. ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए हमारी सरकार ने ई-लेखा एवं ई-पेंशन प्रणाली लागू की है।

माननीय सदस्यगण !

263. "न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत से विमुखता है।" हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि संविधान के अनुरूप प्रदेशवासियों को विधि के

समक्ष समानता का अधिकार मिले। इसी भावना के साथ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में विभिन्न स्तर के 37 नवीन न्यायालयों की स्थापना की गई है।

264. वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवम्बर, 2022 तक 8 हजार 91 व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान की गई है तथा 88 हजार 545 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर लगभग 34 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

265. प्रदेश में पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर 332 विधिक सेवा क्लिनिक संस्थापित किये गये, जो वन-स्टाप-सेंटर के रूप में कार्य करते हुए विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों को सहायता उपलब्ध कराने में सहायक होंगे।

266. राजस्थान शूरवीरों की धरा है। देश की रक्षा के लिए यहां के सैकड़ों वीर सपूतों ने बलिदान दिया है। सैनिकों और इनके परिवारों को पूरा सम्मान और स्वाभिमान मिले, इसका हमारी सरकार ने पूरा ख्याल रखा है।

267. दिनांक 15 अगस्त, 1947 से 31 दिसम्बर, 1971 तक की अवधि के दौरान राज्य के मूल निवासी मृत सशस्त्र बल कार्मिक (शहीद) के आश्रितों को नियुक्ति हेतु 'राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक (शहीद)' के आश्रितों की नियुक्ति नियम, 2022 जारी किए गए हैं, जिसके अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 तक नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

268. भूतपूर्व सैनिकों को सीधी भर्ती में देय आरक्षण में 7 दिसम्बर, 2022 को क्षैतिज आरक्षण को कैटेगरीवाइज कर विसंगति को दूर किया गया है।

269. राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कारपोरेशन के माध्यम से नियोजित पूर्व सैनिकों को देय पारिश्रमिक में अप्रैल, 2022 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

270. यूक्रेन संकट के दौरान हमारी सरकार ने राजस्थान के लोगों को सुरक्षित वापस लाने में पूरी संवेदनशीलता दिखाई। आवासीय आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा आपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से लगभग

800 छात्रों को दिल्ली से उनके गंतव्य स्थान तक राजकीय खर्चे पर सुरक्षित पहुंचाया गया।

271. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत 28 विभागों की 308 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अधिनियम के तहत जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक लगभग एक करोड़ 63 लाख आवेदनों में से लगभग एक करोड़ 61 लाख का निस्तारण किया जा चुका है।

272. हमारी सरकार ने आमजन की प्रभावी सुनवाई करते हुए शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया है। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012 के तहत जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक प्राप्त 76 हजार 651 आवेदनों में से 76 हजार 649 का निस्तारण किया जा चुका है।

273. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर 1 जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक 23 लाख 40 हजार परिवेदनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से लगभग 21 लाख 83 हजार परिवेदनाओं का निस्तारण किया जा चुका है। ऑनलाइन परिवेदना निस्तारण में हम सम्पूर्ण देश में प्रथम स्थान पर हैं।

माननीय सदस्यगण !

274. इस सत्र में कई विधेयकों के साथ-साथ निम्न वित्तीय एवं विधायी कार्य तथा अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयक भी विधान सभा के समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे:-

1. नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2022
2. श्री सांवलियाजी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2022

275. इस अवसर पर मैं सदन के माननीय सदस्यों से और उनके माध्यम से राज्य की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि संविधान और लोकतंत्र हमारी आस्था और विश्वास के सबसे बड़े केन्द्र होने चाहिए। मैं अपना यह विश्वास आप सबमें और देश प्रदेश की जनता में बांटना चाहता हूं कि संविधान, लोकतंत्र और चुनी हुई सरकार में हमारी सभी समस्याओं का समाधान निहित है।

276. हमारी सरकार ने संविधान के प्रति निष्ठा एवं जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान के राजभवन में आजादी का अमृत महोत्सव के

तहत 'संविधान पार्क' का निर्माण करवाया है। यह देश का पहला संविधान पार्क है। इसमें संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, कर्तव्य एवं नीति-निदेशक तत्वों सहित अन्य प्रमुख अनुच्छेदों को रचनात्मक ढंग से दर्शाया गया है।

277. राजस्थान के इस सदन की इमारत ही भव्य नहीं है, यहां के माननीय सदस्यों ने जो परम्पराएं और लोकतांत्रिक मूल्यों की नज़ीर पेश की है, वह भी गौरवान्वित करने वाली है।

278. इस सदन ने आम आदमी के अधिकारों की रक्षा और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सर्वसम्मति से जो फैसले लिए हैं, वे राजस्थान का कायाकल्प कर रहे हैं। इन प्रयासों से राजस्थान की तस्वीर बदली है और आमजन की तकदीर संवरी है।

279. आशा करता हूं कि यह सोच भविष्य में और अधिक उन्नत स्वरूप में देखने को मिलेगी, जिससे न केवल हम विकास के लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे, बल्कि मानवीय मूल्यों की स्थापना का एक अमिट उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे।

280. हमारा लक्ष्य यही रहना चाहिए कि प्रदेश का हर व्यक्ति सम्पन्न, समृद्ध, सुदृढ़, सशक्त और सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़े। सर्व कल्याण का भाव सार्थक हो।

281. आइए! हम सब मिलकर प्रदेशवासियों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए नेक भावना और समन्वित प्रयासों से एक नया इतिहास लिखें, जिससे हर प्रदेशवासी के स्वाभिमान और सम्मान में वृद्धि हो। देश-दुनिया में राजस्थान की आन-बान-शान और बढ़े।

जय-हिन्द